न्यायालय–विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट), भदोही–ज्ञानपुर।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–438 सन् 2026

UPSN01001346–2026

शिवकुमार, उम्र लगभग...वर्ष, पुत्र इन्द्रजीत ठाकुर, निवासी भौथर, थाना दुर्गागंज, जिला भदोही। .....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन ।

मु०अ०सं०–32 सन् 2026
धारा–352, 351(3) बी.एन.एस. एवं
धारा–3 (1) द, ध एस.सी./एस.टी.एक्ट
थाना–दुर्गागंज, जिला भदोही।

29.05.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त शिवकुमार, पुत्र इन्द्रजीत पाठक के द्वारा प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या–32 सन् 2026, धारा–352, 351(3) बी.एन.एस. व धारा–3(1) द,ध एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना–दुर्गागंज, जिला–भदोही के मामले में सुना गया। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के आदेश दिनांकित 23.04.2026 से आज तक अन्तरिम जमानत पर है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दिया गया आत्मसमर्पण प्रार्थना–पत्र पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है, इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद अथवा अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नही है। आगे यह तर्क दिया गया कि प्रार्थी ने वादी पक्ष को न तो मारा पीटा है और न ही गाली दिया और न ही उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया है। वादी मुकदमा द्वारा यह तहरीर दी गयी है कि प्रार्थी द्वारा मोबाइल नम्बर से दिनांक 16.04.2026 को समय 8.50 बजे शाम को वादी मुकदमा को बिना वजह अपशब्दों का प्रयोग करते हुये गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसे सुनकर वह अवाक रह गया, गाली सुनकर वह बोला कि गाली क्यों दे रहे हो, तो जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुये जान से मारने की धमकी देने लगे, जबकि सच्चाई यह है कि प्रार्थी द्वारा वादी मुकदमा से जमीन का वरासत दर्ज कराने के लिये बात किया, तो वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थी से वरासत चढ़ाने हेतु अवैध पैसे की मांग किये, जिसका प्रार्थी ने विरोध किया, तो वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थी के उपर झूठे तथ्यों व कथनों के आधार पर फर्जी मुकदमा

कायम करा दिया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया कि प्रार्थी निर्दोष है, कोई अपराध कारित नही किया है अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

3. अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी विकास कुमार, पुत्र शैलेन्द्र कुमार, ग्राम चकमान्धाता, थाना गोपीगंज, जिला भदोही का निवासी है। वह जाति चमार (SC) का व्यक्ति हैं। हाल पता ग्राम भौथर, तहसहील व जनपद भदोही में लेखपाल पद पर कार्यरत है। उसके क्षेत्र ग्राम भौथर के निवासी शिवकुमार, पुत्र इन्दजीत (ठाकुर) द्वारा उसके मो0 नं0 8545019201 पर अपने मो0 नं0 8853026121 से दिनांक 16.4.2026 को समय 8.50 बजे शाम को उसे विना बजह अपशब्दो का प्रयोग करते हुये गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसे सुनकर वह आवाक रह गया, गाली सुनकर वह बोला कि गाली क्यों दे रहे, तो जाति सूचक और जान से मारने की धमकी देने लगे। अंत में रिपोर्ट दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी।

4. इस प्रकरण में वादी मुकदमा को नोटिस जारी किया गया, वादी मुकदमा द्वारा कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गई है।

5. विद्वान् विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्त तथाकथित अपराध की घटना में संलिप्त है। अभियुक्त के द्वारा उक्त तथाकथित घटना को कारित किया गया है। अभियुक्त जमानत पर छूटने पर जमानत का दुरूपयोग करेगा। अतः अभियुक्त के जमानत के आधार पर्याप्त नहीं है। जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये।

6. न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/ अभियुक्त दिनांक 23.04.2026 से उक्त मामले में अंतरिम जमानत पर है, उसके द्वारा जमानत का कोई दुरूपयोग नही किया गया है। थाने की आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के विरुद्ध इस प्रकरण के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त पर लगाये गये उक्त आरोपित धारायें सात वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय है। अतः प्रस्तुत मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण दोष पर विचार व्यक्त किये, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त हैं, तदनुसार प्रार्थी/ अभियुक्त शिव कुमार का जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त शिवकुमार, पुत्र इन्द्रजीत ठाकुर का जमानत प्रार्थना–पत्र मुकदमा अपराध संख्या–32 सन् 2026, धारा–352, 351(3) बी.एन.एस. व धारा–3(1)द,ध एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना–दुर्गागंज, जिला–भदोही के अभियोग में सशर्त स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त के द्वारा मु० 25,000/–रूपये की दो जमानतें व इसी धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र निष्पादित किये जाने पर निम्न शर्तो के साथ जमानत पर रिहा किया जाये:–

1. प्रार्थी/अभियुक्त बिना अनुमति के देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगा और अपने निवास को परिवर्तित नहीं करेंगा ।

2. प्रार्थी/अभियुक्त साक्ष्य/साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित/टेम्पर करने का प्रयत्न भी नहीं करेंगा ।

3. प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विचारण किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होंगा और विचारण में सहयोग करेंगा।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पर जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा।

दिनांक–27.05.2026

(डॉ० अवनीश कुमार–II)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)
भदोही–ज्ञानपुर।
आई०डी०–यू०पी० 1523

Digitally signed by AVANISH KUMAR
Date: 2026.05.30 07:34:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court